



# बुलन्दशहर पुलिस



## OPERATION CONVICTION

दहेज हत्या के आरोपी को 09 वर्ष का कारावास

दिनांक- 28.04.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना **जहांगीराबाद** पर **दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने के** सम्बन्ध में पंजीकृत मु०अ०सं०-411/2014 धारा 498ए,304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट के अभियुक्त **योगेन्द्र शर्मा** पुत्र स्व० गंगाशरण निवासी ग्राम बामनपुर थाना जहांगीराबाद को मा०न्याया० कोर्ट एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर द्वारा 09 वर्ष का कारावास व 5000/- रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया ।



श्री ध्रुव कुमार वर्मा  
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह  
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



है०का० अभिषेक  
(पैरोकार)



है०का० विमल पवार  
(कोर्ट मोहरीर)